न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 66 / 2022

सतीश चन्द शर्मा, ए–270, जवाहर नगर, भरतपुर।

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर।

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.08.2022**

अपीलार्थी सतीश चन्द शर्मा, ए–270, जवाहर नगर, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2022 से लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 650 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर के पत्र कमांक / जिअसंकअ / भरत / 2022–23 / 1470 दिनांक 25.08.2022 से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील एवं जवाव का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसे लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे पत्र कमांक / जिअसंकअ / भरत / 2022–23 / 1457 दिनांक 24.08.2022 से उपलब्ध करादी गई है। अपीलार्थी

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

का अब यह कहना कि उसे सूचना नहीं नहीं भिजवाई गई है माने जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटोप्रति सुलभ संदर्भ संलग्न कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर